

क्र.सं.	दिनांक आहवा या कार्यवाही	आहवा विस्तृत रूप से
	21/4/22	<p>वकील उमर पत्रावली / वकील वादीने पुनः जवाब देत नसक्या यादी पूर्व में नकारा जा चुका है। वकील को जे निवेदन के अन्तर्गत से अन्वेषण एवं जवाब प्राप्त हुआ है कि जिला जज के सि सहायता जजने शीघ्र जवाब देना पड़ेगा वही वकालत के लिए वादपत्र परिष्कार कर दिया जाएगा अतः वकील को 21/4/22 को पेशादी</p> <p>उप गणपति आदिनी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>
29/4/22		<p>उमर पत्रावली / अतिरिक्त संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे हैं। अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 23-5-22 को पेशादी</p> <p>(सि.जर.)</p>
		<p>उमर पत्रावली / अतिरिक्त संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे हैं। अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 23-5-22 को पेशादी</p> <p>(सि.जर.)</p>
23/5/22		<p>पत्रावली साज पेशा हुई वकील वादीने जवाब देना पेशा नहीं किया। पूर्व में अतिरिक्त जज इत शर्त पर जिला जज थाने प्रमाणों के जवाब देना पेशा नहीं कले पर वादपत्र परिष्कार किया जाएगा। वकील वादीने जवाब देना पेशा नहीं किया है। उमर पत्रावली के परिष्कार किया जाता है। वकील उमर वादी द्वारा पेशा हुआ वकील के सम्बन्ध में वादपत्र पेशा जिला जज के अन्तर्गत है। पत्रावली जिला जज के अन्तर्गत दफ्तर है।</p> <p>उप गणपति आदिनी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>